



2026:AHC: 171522

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2474/2025

राकेश

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: कीर्ति सिंह, शैलेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, संजीव कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, बदायूं द्वारा पारित संज्ञान/तलब करने के आदेश दिनांक 21.01.2025 के साथ-साथ एस.एस.टी. संख्या 155 वर्ष 2025 (राज्य बनाम राकेश), जो थाना उसवां, जिला बदायूं के मुकदमा अपराध संख्या 0236/2023, धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व) से उत्पन्न हुआ है, में आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 28.11.2023 को अपास्त करने के लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14(ए)(1) के अंतर्गत दाखिल की गई है।
3. संक्षेप में, एफ.आई.आर. में प्रकट किया गया अभियोजन का प्रकरण यह है कि अनुसूचित जाति (कोरी समुदाय) से संबंधित सूचनादाता ने आरोप लगाया कि 02.09.2023 को याचिकाकर्ता चार सह-अभियुक्तों के साथ देसी पिस्तौल और धारदार हथियार से लैस होकर उसके घर में घुस आया और उसकी गाय के उनके खेत में घुसने तथा फसल को नुकसान पहुंचाने को लेकर उसका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सामना किया। यह आगे आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों ने सूचनादाता और उसकी गाय के साथ मारपीट की, जाति-सूचक गाली-गलौज का इस्तेमाल किया, और उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को घर से खदेड़ दिया। उनकी चीखें सुनकर परिवार के सदस्य आ गए, जिस पर अभियुक्त भाग गए। यह भी आरोप लगाया गया कि 07.09.2023 को, अभियुक्त फिर से सूचनादाता के घर आए, उसके साथ गाली-गलौज की और उसे धमकाया। थाने जाने के बावजूद, शुरू में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी। तत्पश्चात, धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र के अनुसरण में, 02.11.2023 को याचिकाकर्ता और चार अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 236 वर्ष 2023 के रूप में धारा 452, 354, 323, 504 और 506 भा.द.सं., पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3/11, और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई। विवेचना के पश्चात, विवेचना अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जबकि अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया।

4. संक्षेप में, अपील के आधार यह हैं कि विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, बदायूं द्वारा पारित संज्ञान/तलब करने का आदेश दिनांक 21.01.2025 पूरी तरह से अवैध है और विधि की दृष्टि में कायम रहने योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश अनुमानों और अटकलों पर आधारित है और इसलिए इसे रद्द किए जाने योग्य है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित तलब करने का आदेश दिनांक 21.01.2025 ठोस कारण बताए बिना पारित किया गया है और आरोप-पत्र उचित विवेचना के बिना, यांत्रिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना सूचनादाता के घर के अंदर हुई थी और इसलिए, "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर" अपमान या अभिवासा से संबंधित एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध की आवश्यक शर्त पूरी नहीं होती है। विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री अपेक्षित आशय या ज्ञान के साथ किसी भी विशिष्ट जाति-आधारित अपमान का खुलासा नहीं करती है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 161 और 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज कथित पीड़िता, कृष्णा देवी के बयान में तात्त्विक विरोधाभास हैं और यह अभियोजन के संस्करण का समर्थन नहीं करता है। उसके चिकित्सीय परीक्षण में भी कोई चोट सामने नहीं आई। विवेचना के दौरान दर्ज किए गए कई स्वतंत्र और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अन्य गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना अधिकारी ने धारा 452, 354 भा.द.सं. और पशु क्रूरता से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों को हटा दिया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध केवल धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व) के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अभिवेदन का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ सूचनादाता के घर में घुसने, सूचनादाता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने, जाति-सूचक गाली-गलौज का इस्तेमाल करने और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के संबंध में विशिष्ट और स्पष्ट आरोप हैं। यह तर्क दिया गया है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप, विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयानों के साथ मिलकर, संज्ञेय अपराधों के किए जाने का खुलासा करते हैं और इसलिए, विवेचना अधिकारी याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में न्यायोचित था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तों, अर्थात् राकेश, रवींद्र, उमेश, मनोज और विपिन के विरुद्ध दर्ज की गई थी, जिन्हें इसमें विशेष रूप से नामित किया गया था। एफ.आई.आर. के अनुसार, घटना 02.09.2023 को घटित होना अभिकथित है, जबकि धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र के अनुसरण में, लगभग दो महीने के विलंब के पश्चात, 02.11.2023 को धारा 452, 354, 323, 504 और 506 भा.द.सं., पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3/11, और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। विवेचना के पश्चात, विवेचना अधिकारी ने कथित अपराधों से अन्य चार अभियुक्तों को आरोप मुक्त करते हुए याचिकाकर्ता, राकेश के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। एफ.आई.आर. और केस डायरी के परिशीलन से, ऐसा प्रतीत होता है कि कथित घटना पीड़ित/सूचनादाता के घर के अंदर हुई थी और इसमें जाति-आधारित गाली-गलौज का कथित उपयोग शामिल था। यह स्वीकार्य तथ्य है कि सूचनादाता को कोई चोट नहीं आई। यह सही है कि धारा 323 भा.द.सं. के अंतर्गत किसी अपराध में, प्रत्येक वाद में चिकित्सीय रिपोर्ट या अन्य चिकित्सीय साक्ष्य का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रस्तुतीकरण अपरिहार्य नहीं है। हालांकि, कथित घटना की उत्पत्ति, जैसा कि एफ.आई.आर. और केस डायरी से प्रकट होता है, यह है कि सूचनादाता की गाय याचिकाकर्ता के खेत में घुस गई थी और वहां फसल चर गई थी। गौरतलब है कि न तो एफ.आई.आर. और न ही विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य प्रकट करती है जिससे यह स्थापित हो सके कि याचिकाकर्ता ने सूचनादाता को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या प्रताड़ित करने के अपेक्षित आशय या ज्ञान के साथ जाति-आधारित अपशब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत कथित अपराध के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होते हैं।

8. **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य (2008) 8 एस.सी.सी. 435** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर कोई स्थान" के भावों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। यदि घटना जनता के सदस्यों को दिखाई देती है तो एक निजी स्थान भी सार्वजनिक दृष्टि के भीतर का स्थान हो सकता है। इसके विपरीत, केवल इसलिए कि कोई घटना किसी सार्वजनिक भवन में होती है, वह स्वतः ही आवश्यकता को पूरा नहीं करती यदि वह सार्वजनिक दृष्टि के भीतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "चमार" जैसे शब्द, यद्यपि मूल रूप से एक जाति को दर्शाते हैं, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जातिवादी गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे एक अपराध की कोटि में आ सकते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों को उनके लोकप्रिय और सामाजिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि केवल उनके व्युत्पत्तिशास्त्रीय अर्थ में। धारा 3(1)(एक्स) (अब धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस)) को आकर्षित करने के लिए, जानबूझकर अपमान या अभित्रास होना चाहिए; और पीड़ित को अपमानित करने का आशय होना चाहिए क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित अपेक्षित आशय के बिना, केवल गाली-गलौज या झगड़ा अपर्याप्त है। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही केवल वहीं जारी रहनी चाहिए जहां आरोप किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते हों। कार्यवाहियां वहां रद्द की जा सकती हैं जहां एफ.आई.आर. किसी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. **गोरिंगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2009 क्रि.एल.जे.350** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जब शिकायत में अपराध के मूल तत्व गायब हों, तो ऐसी शिकायत को जारी रहने की अनुमति देना और अपीलार्थी को आपराधिक विचारण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का सामना करने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित होगा जिससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) 10 एस.सी.सी. 710** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की उपस्थिति के बिना भूमि के कब्जे को लेकर परिवादी के निजी घर के अंदर उत्पन्न विवाद, धारा 3(1)(आर) की वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करता है।'

11. **शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य और एक अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2249** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हितेश वर्मा (उपरोक्त)** के वादों को उद्धृत करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर किए गए अपमान और अभिवास के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या अभिवास अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभिवास पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत अपराध तब बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग के किसी सदस्य को अपमान, प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व का दावा न तो अपमान, प्रताड़ना और न ही उत्पीड़न के कारण है। प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठाने का अधिकार है। इसलिए, यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, या कि प्रत्यर्थी 2 ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, तो पक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कार्रवाई इस कारण से नहीं है कि प्रत्यर्थी 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एस.सी.सी. 763 में:

"15. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करे। अपराध व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर किया गया होना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिद्धांत यह है कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि ऐसे सदस्य को इस कारण से अपमानित करने का आशय न हो कि वह ऐसे समुदाय से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, 1989 के अधिनियम का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जानबूझकर किया गया अपमान या अभिवास का प्रत्येक कृत्य 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) को केवल इसलिए आकर्षित करेगा क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसके विपरीत, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) वहां आकर्षित होती है जहां जानबूझकर किए गए अपमान या अभिवास का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को इसका शिकार बनाया जाता है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि 1989 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य उन अपराधों की सजा के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करना था जो एससी/एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति की स्थिति के कारण लक्षित किए जाते हैं।"

11. तदनुसार, प्रतिद्वंद्वी अभिवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले प्रथम दृष्टया मामले का भी खुलासा करने में विफल रहा है। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह इंगित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं करती है कि कथित शब्द या आचरण सूचनादाता की जाति से प्रेरित थे या सूचनादाता के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के आधार पर जानबूझकर उसका अपमान करने या उसे प्रताड़ित करने के आशय से किए गए थे। यह स्थापित करने के लिए भी किसी सामग्री का अभाव है कि कथित घटना "सार्वजनिक दृष्टि" के भीतर किसी स्थान पर हुई थी, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जैसा कि **स्वर्ण सिंह** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है और **हितेश वर्मा और शाजन स्कारिया** (उपरोक्त) में इसकी आगे पुष्टि की गई है।

12. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व) के अंतर्गत अपराधों का गठन करने वाले आवश्यक तत्व जांच/विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं, और उक्त अपराधों के लिए कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की 'प्रक्रिया का दुरुपयोग' होगा। परिणामस्वरूप, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के अंतर्गत अपील आंशिक रूप से सफल होती है और **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।

13. विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, बदायूं द्वारा एस.एस.टी. संख्या 155 वर्ष 2025 (राज्य बनाम राकेश), जो मुकदमा अपराध संख्या 0236/2023 से उत्पन्न है, में पारित संज्ञान/तलब करने का आदेश दिनांक 21.01.2025 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व) के अंतर्गत तलब किया गया था, को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से उन्मोचित किया जाता है।

14. फिर भी, चूंकि धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए इसके संबंध में अभियोजन विधि के अनुसार जारी रहेगा और शीघ्रता से संपन्न किया जाएगा। विचारण न्यायालय वाद के गुण-दोष पर यहां की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे पांच दिनों के भीतर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित न्यायालय को फैक्स/ई-मेल द्वारा इस आदेश की एक प्रति तामील कराएं।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

14 अगस्त, 2026

आशा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”